सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

संख्या– 06

02/01/2019

पटना–02 जनवरी, 2019 ::– आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 12 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मे० ए०सी०एम०ई० मगध सोलर पावर प्रा० लि०, गुरूग्राम (हरियाणा) द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला–बांका में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पी०भी० प्लान्ट के स्थापना हेतु कुल रू० 7155.00 लाख (इकहत्तर करोड़ पचपन लाख रूपए) की लागत से निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति तथा उद्योग विभाग के ही तहत मे० ए०सी०एम०ई० नालन्दा सोलर पावर प्रा० लि०, गुरूग्राम (हरियाणा) द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला–बांका में 15 मेगावाट क्षमता का सोलर पी०भी० प्लान्ट के स्थापना हेतु कुल रू० 10733.00 लाख (एक अरब सात करोड़ तेतीस लाख रूपए) की लागत से निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बाँका जिलान्तर्गत रजौन थाना के नवादा बाजार में सहायक थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–14 (चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर के परिक्षेत्राधीन बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–V के तहत लगभग 392.80 कि०मी० की लम्बाई में तटबंध एवं संरचना के निर्माण तथा तटबंध के सुरक्षात्मक कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शी सेवा, प्राक्कलित राशि–रू० 172.59697 लाख (एक करोड़ बहत्तर लाख उनसठ हजार छः सौ सन्तानवे रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत ₹32.98 करोड़ (बत्तीस करोड़ अंठानवे लाख) की लागत पर सिंचाई भवन, पटना का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर गैर योजना मद में कुल ₹5,13,29,532 (पाँच करोड़ तेरह लाख उनतीस हजार पाँच सौ बत्तीस रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण), पटना सहित 04 निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण के कार्यालयों का गठन सहित आवश्यक कुल 91 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्का० सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग, बिहार के लिए विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम

(एम०एस० डी०पी०) के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 11 इकाई 50 शैय्या वाले छात्रावास के भवन निर्माण में से 08 इकाई 50 शैय्या वाले छात्रावास के भवन निर्माण (चहारदिवारी सहित) हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त समेकित पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुरूप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 800.00 लाख (आठ करोड़) मात्र के अतिरिक्त अंतर राशि रूपये 1339.77 लाख (तेरह करोड़ उन्चालीस लाख सतहत्तर हजार) मात्र विशेष राज्यांश के मद से व्यय की स्वीकृति सहित कुल रूपये 2139.77 लाख (इक्कीस करोड़ उन्चालीस लाख सतहत्तर हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता योजना (केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना) वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹2990.00 लाख (उनतीस करोड़ नब्बे लाख रू०) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹1993.00 लाख (उन्नीस करोड़ तिरानवे लाख रू०) मात्र अर्थात् कुल ₹4983.00 लाख (उनचास करोड़ तिरासी लाख रू०) मात्र एवं ₹1021.00 लाख (पूरक योजना के रूप में) की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने तथा राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई है। संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत षोडश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 191वें सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है। तद्नुसार 11 फरवरी से 20 फरवरी तक सत्र संचालित होगा जिसकी शुरूआत महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण से होगी। योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत सांख्यिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण सहयोग (Support for Statistical Strengthening -SSS) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मो० 3437.53 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति तथा राज्य योजना मद से मो० 1424.14 लाख रूपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में ऑटोमेटिक वर्षामापक यंत्र लगाए जाएँगे जिससे राज्य मुख्यालय स्तर पर सभी जगहों के वर्षा के सटीक आँकड़े स्वतः संसूचित हो जाएँगे और उस आधार पर राज्य सरकार को व्यापक जनहित से संबंधित त्वरित फैसले लेने में सहूलियत होगी।

————————————————————